रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 1985/ज्येष्ठ 17, 1907
No. 117] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 1985/JYAISTHA 17, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 18-ई टी सी (पी एन)/85

नई दिल्ली, 7 जून, 1985

विषय :—टैक्सटाइल क्लाथ और जैतून हरित शेड वाली उस की सामग्री का निर्यात ।

फाइल सं. 2/41/85-ई-I :—अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड 2) के नीति विवरण की कम सं. 70(i) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार टैक्सटाइल क्लाथ और जैतून हरित शेड वाली उसकी सामग्री जिसमें असली और नकली रेशमी वस्त्र और उनकी सामग्री (हौजरी सहित) शामिल नहीं है, का निर्यात "पात्रता के आधार पर" अनुमेय है ।

2 स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त मदों के लिए निर्यात की स्वीकृति सीमित सीमा के भीतर "पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर दी जाए ।

3. तदनुसार, आयात एवं निर्यात नीति 1985—88 (खण्ड 2) की पृष्ठ स. 23 पर नीति विवरण के कालम 4 में क्रम सं. 70(i) के सामने दिखाई गई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टि के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"निर्यात को अनुमति सीमित सीमा के भीतर "पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर दी जाएगी"।

श्री इन्द्र त्रिपाठी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
EXPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 18-ETC(PN)/85

New Delhi, the 7th June, 1985

Subject: Export of Textile Cloth and Material thereof of Olive Green Shade.

File No. 2/41/85/E-I.—Attention is invited to S. No. 70(i) of the Policy Statement of Import & Export Policy April, 1985—March 1988 (Vol. II) according to which export of Textile Cloth and materials thereof of Olive Green Shade excluding pure silk and artificial silk fabrics and materials thereof (including hosiery) is allowed "On Merits".

2. On a review of the position, it has been decided to allow the export of the above items within a limited ceiling on "first-come, first-served basis."

3. Accordingly the existing entry appearing against S. No. 70(i) in column 4 in the Policy Statement at page 23 of the Import and Export Policy Book 1985—88 (Vol. II) shall be substituted by the following entry:—

"Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis."

S. I. TRIPATHI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985